न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 91/2022

प्रार्थी

अमराराम पुत्र ओटा जी, जाति–कलबी, निवासी–पामेरा, तहसील–रेवदर, जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) मोतीराम पुत्र लकाजी, जाति–रेबारी, निवासी–पामेरा, तहसील–रेवदर, जिला सिरोही
(2) ग्राम पंचायत, पामेरा, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, पामेरा, तह.रेवदर जिला सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री पूरण सिंह देवडा, अप्रार्थी संख्या 1 (एक) की ओर से
(3) अधिवक्ता श्री नारायण पटेल, अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 13 मई, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी निगरानीकार की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी श्री मोतीराम पुत्र लकाजी, जाति–रेबारी, निवासी– पामेरा के पक्ष में क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 18–12–2004 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, पामेरा से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां तलब की गई। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 (एक) की ओर से अधिवक्ता श्री पूरण सिंह देवड़ा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से अधिवक्ता श्री नारायण पटेल उपस्थित हुये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 (एक) की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया।

(3) प्रकरण में दिनांक 09–5–2025 को बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आढा ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त कि ग्राम पामेरा, तहसील रेवदर, जिला सिरोही में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि आई हुई है. जिसको नियमानुसार बेचान करने व भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में ग्राम पंचायत, पामेरा ने एक प्लान तैयार कर उसमें भूखण्ड काटे एवं उसका प्लान तैयार किया एवं उन भूखण्डों में से दो भूखण्ड संख्या 12 व भूखण्ड संख्या 13 दोनो के ही पट्टे अप्रार्थी मोतीराम पुत्र लकाजी रेबारी के पक्ष में दिनांक 18.12.2004 को गलत रूप से जारी किए, जिससे पट्टा संख्या 36 के विरुद्ध यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी मोतीराम पुत्र लकाजी का पुराना आवासीय मकान ग्राम पामेरा के मुख्य आबादी में आया हुआ है जिसमें वह अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा भूखण्ड सख्या 12 मात्र 925 रूपये व भूखण्ड सख्या 13 मात्र 1201 रूपये में खरीद करना बताया है जबकि वास्तव में इस प्रकार की कोई बोली नहीं बोली गयी एवं कुटरचित तरीके से यह पट्टे जारी किये गये है। भूखण्ड संख्या 13 का जो पट्टा अप्रार्थी मोतीराम पुत्र लकाजी के पक्ष में जारी किया गया है उसके पश्चिम दिशा में आम रास्ता होने का उल्लेख किया गया है और इसी पश्चिम दिशा में भूखण्ड संख्या 12 अस्तित्व में बताते हुए अप्रार्थी

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही सत्यमेव जयते

मोतीराम ने कब्जा कर रखा है। अगर भूखण्ड संख्या 13 के पश्चिम दिशा में रास्ता अस्तित्व में है तो रास्ते की भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत को कानुनन जारी करने का कोई हक अधिकार नहीं है, जिससे उक्त भूखण्ड संख्या 12 का पट्टा संख्या 36 कुटरचित दस्तावेज है जो कानुनन शुन्य व बातिल दस्तावेज है तथा ऐसे दस्तावेज से अप्रार्थी मोतीराम पुत्र लकाजी को कानुनन कोई हक अधिकार पैदा नहीं होते है। अप्रार्थी मोतीराम पुत्र लकाजी को प्लॉट संख्या 13 का पट्टा दिया है उसके दक्षिण दिशा में भूखण्ड संख्या 12 होने का उल्लेख किया गया है लेकिन उक्त जगह पर अप्रार्थी मोतीराम पुत्र लकाजी का किसी प्रकार से कोई कब्जा नहीं है एवं उसने पश्चिम दिशा में स्थित उक्त प्लॉट संख्या 13 के पट्टा संख्या 38 में उल्लेखित आम रास्ते की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है, जिससे उक्त पट्टा संख्या 36 निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि उक्त पट्टों में अंकित चतुदर्शी अनुसार मौके पर परकोटा नहीं निकालकर पट्टो में दर्ज चतुदर्शी के विपरित नाप से भी अधिक भूमि पर अवैध रूप से अप्रार्थी मोतीराम ने अतिक्रमण कर रखा है तथा अप्रार्थी मोतीराम के हक में जारी पट्टा संख्या 38 के दक्षिण दिशा में अचला सांकला रेबारी का भूखण्ड दर्शाया है जबकि अचला सांकला रेबारी के मकान के पीछे भी अप्रार्थी मोतीराम ने गलत रूप से आगे 6 फीट व पीछे 7 फीट की गली छोडकर अतिक्रमण कर रखा है। यह कि ग्राम पंचायत में कई लोग निर्धन गरीब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग तबके के व्यक्ति है तथा कई लोगो के आवास हेतु भूखण्ड उपलब्ध नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भूखण्ड देने के लिए राज्य सरकार के आदेश होने के उपरान्त भी अप्रार्थी मोतीराम को भूखण्ड़ की आवश्यकता नहीं होने के उपरान्त भी एक ही दिन में उसके हक में दो पट्टे जारी किये गये है तथा पट्टा जारी होने के 17 वर्ष पश्चात् भी इन भूखण्ड पर किसी प्रकार का कोई आवासीय निर्माण किया हुआ नहीं है। यह कि अप्रार्थी मोतीराम ने उक्त कुटरचित पट्टा संख्या 36 की आड में रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किये हुए है तथा मौके पर गलत रूप से कब्जा कर आस पडौस में रहने वाले पट्टे धारियों के विरूद्ध गलत रूप से झगडा फसाद करता रहता है तथा उनके विरूद्ध वाद विवाद करता रहता है, जबकि स्वयं उक्त गलत पट्टे की आड में मौके पर विधि विरूद्ध तरीके से रास्ते की भूमि पर कब्जा किये हुए है। वर्तमान में मौके की स्थिति को दर्शाते नजरी नक्शा साथ संलग्न है। उक्त नजरी नक्शे के आधार पर भी अप्रार्थी मोतीराम को जारी पट्टा संख्या 36 की चतुदर्शी मेल नहीं खाती है एवं इस पट्टे में वर्णित चतुदर्शी का भूखण्ड मौके पर अस्तित्व में नहीं है तथा उक्त पट्टे की आड में अप्रार्थी मोतीराम ने गलत रूप से अतिक्रमण कर रखा है एवं उक्त कुटरचित पट्टे की आड में मौके पर अतिक्रमण की जगह पक्का निर्माण कार्य करने पर भी आमादा है जिसका उसे कानुनन कोई हक व अधिकार नहीं है। यह कि निगरानी आवेदन प्रस्तुत करने में कानुनन कोई अवधि निर्धारित नही है, लेकिन अप्रार्थी मोतीराम द्वारा उक्त पट्टे की आड में प्रार्थी के साथ मई, 2022 में झगडा किया तथा प्रार्थी द्वारा अपने पट्टशुदा भूखण्ड पर चारदीवारी निकालने में अप्रार्थी मोतीराम आपत्ति करने लगा एवं प्रार्थी द्वारा उसे समझाने पर अप्रार्थी मोतीराम ने अपने पट्टे का उल्लेख किया जिस पर प्रार्थी ने ग्राम पंचायत पामेरा से अप्रार्थी मोतीराम के पक्ष मे जारी पट्टो की नकल प्राप्त की तथा अप्रार्थी मोतीराम ने गलत कथनों के आधार एक निगरानी आवेदन प्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिस पर मई 2022 में सर्वप्रथम अप्रार्थी मोतीराम के हक में पट्टा जारी होने की जानकारी प्रार्थी को हुई जिससे यह निगरानी आवेदन जानकारी होने पर बिना किसी देरी के प्रस्तुत किया है। वैसे भी कुटरचित दस्तावेज कानुन की नजर में शुन्य है, उसे कभी भी निरस्त करवाया जा सकता है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी मोतीराम पुत्र लकाजी रेबारी, निवासी– पामेरा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 18–12–2004 को

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * सत्यमेव जयते

निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 (एक) मोतीराम के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अप्रार्थी मोतीराम के जवाब में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी मोतीराम द्वारा ग्राम पंचायत, पामेरा से नीलामी में नियमानुसार उच्च बोली लगाकर भूखण्ड़ क्रय किया है जिसका ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी मोतीराम के पक्ष में नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। यह कि अप्रार्थी मोतीराम द्वारा प्रार्थी अमराराम के विरुद्ध जारी पट्टे को निरस्त कराने हेतु इस न्यायालय में पूर्व में एक निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया था जो इस न्यायालय में लम्बित है की रंजिशवश प्रार्थी अमराराम ने मनगन्ढत कथनों के आधार पर अप्रार्थी मोतीराम के विरुद्ध यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। जो उच्च बोली से खरीद किया गया था। अप्रार्थी के पट्टे में जो चतुर्दशी अंकित है मौके की स्थिति भी उसी अनुरुप है। अप्रार्थी मोतीराम द्वारा रास्ते की भूमि में अतिक्रमण नहीं किया गया है और न ही पट्टे में अंकित नाप के विपरित नाप से अधिक भूमि रुप पर अतिक्रमण किया है। वास्तविक स्थिति यह है कि प्रार्थी के पट्टे के विरुद्ध अप्रार्थी मोतीराम ने प्रार्थी के द्वारा आम रास्ता पर अतिक्रमण कर दरवाजा जबरदस्ती बन्द कर दिवार का निर्माण करवाने से अप्रार्थी मोतीराम ने प्रार्थी के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत कर रखी है जिस कारण बचने के लिये प्रार्थी अमराराम ने झूठी कथन अंकित कर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 (दो) ग्राम पंचायत, पामेरा के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी के पट्टा संख्या 38 के पश्चिम दिशा में रास्ता होने व अप्रार्थी द्वारा रास्ते के रूप में उपयोग करने का कथन गलत है। अप्रार्थी के पट्टाशुदा प्लोट में आने का रास्ता पश्चिम दिशा में नही है अपितु दक्षिण दिशा में आम रास्ता मौके पर स्थित है। प्रार्थी अमराराम ने अपने भुखण्ड पर निर्माण कार्य किया है। अप्रार्थी मोतीराम पुत्र लकाजी रेबारी द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर को शिकायत करने पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर के निर्देश पर अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर श्री भरतसिंह वागेला द्वारा मोतीराम पुत्र लकाजी के दोनो भुखण्ड व प्रार्थी अमराराम के भुखण्ड का दिनांक 23.05.2022 को मौका निरीक्षण कर नाप जोख कर मौके की फर्द बनाई गई जिसमें मोतीराम द्वारा अवैध रूप से 970 वर्गफीट पर पट्टे के अलावा अतिक्रमण करना पाया गया जिस पर नियमानुसार उक्त अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही करने के लिये सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, पामेरा को निर्देशित किया गया था। मौके की फर्द जो बनाई गई थी उसमें भी मोतीराम के भुखण्ड का दरवाजा दक्षिण दिशा में पाया गया है। मौका फर्द की छाया प्रति जवाब के साथ प्रस्तुत की गई है जो पत्रावली में संलग्न है। यह कि अप्रार्थी के पट्टो की चतुदर्शी मौके की स्थिति के बिलकुल विपरित है। प्रार्थी अमराराम को जारी पट्टे की मौके पर स्थिति पट्टा अनुसार सही पाई गई तथा प्रार्थी अमराराम मौके अनुसार सही जगह पर काबिज है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट भूमि का आम नीलामी के माध्यम से विक्रय करते हुए उच्चतम बोली के आधार पर ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी मोतीराम पुत्र लकाजी, जाति— रेबारी, निवासी— पामेरा के पक्ष में क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट भूखण्ड का पट्टा संख्या 36 दिनांक 18—12—2004 को जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत, पामेरा के संकल्प संख्या 02 दिनांक 11—11—2004 के अनुसरण में जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, पामेरा

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही *
सत्यमेव जयते

द्वारा अप्रार्थी मोतीराम पुत्र लकाजी रेबारी, निवासी— पामेरा को आम नीलामी में भूखण्ड़ का विक्रय करते हुए पट्टा जारी किया गया है तथा नीलामी में विक्रय किये गये उक्त भूखण्ड़ का पट्टा जारी किये हुए करीब 17 वर्ष व्यतीत हो जाने की अवधि के दौरान प्रार्थी अमराराम द्वारा उक्त प्रश्नगत पट्टे की वैधता या नियमितता के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही की गई।

प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में यह अंकित किया है कि ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी मोतीराम पुत्र लकाजी रेबारी, निवासी— पामेरा के पक्ष में रास्ते की भूमि का पट्टा जारी किया गया है, लेकिन प्रार्थी ने अपने इस कथन के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य या ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अनुमोदित प्लान/नक्शा प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो सके कि ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा अप्रार्थी मोतीराम पुत्र लकाजी रेबारी, निवासी— पामेरा को रास्ते की भूमि का पट्टा जारी किया गया हो। जहां तक, प्रार्थी निगरानीकार का यह कथन कि अप्रार्थी मोतीराम ने ग्राम पंचायत, पामेरा द्वारा उसके हक में जारी उक्त प्रश्नगत पट्टा संख्या 36 दिनांक 18—12—2004 में अंकित नाप से अधिक भूमि पर कब्जा किया गया है, तो इस हेतु प्रार्थी को ग्राम पंचायत, पामेरा के समक्ष कार्यवाही करनी चाहिये। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का यह निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13 मई, 2025 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते